

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2018

III/निगरानी/सीईए/भूरा/2018/2013

01. इंदर सिंह आ. श्री दलीप सिंह आयु लगभग 55 वर्ष
02. बनेसिंह आ. श्री दलीप सिंह आयु लगभग 45 वर्ष
03. शैतान सिंह आ. श्री दलीप सिंह आयु लगभग 51 वर्ष

सभी निवासी ग्राम व कृषक उलझावन तहसील व जिला सीहोर म0प्र0 ।.....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

नर्बदा प्रसाद आ. श्री हरिराम आयु वयस्क

निवासी ग्राम उलझावन तहसील व जिला सीहोर म0प्र0 ।.....रेस्पान्डेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भूरा.संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 07/10/2017 प्रकरण क्रमांक 02/अ-12/2017-18 (नर्बदा प्रसाद विरुद्ध म0प्र0 शासन) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय सीहोर जिला सीहोर द्वारा पारित किया गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने है:-

01. दिनांक 07/10/2017 प्रकरण क्रमांक 02/अ-12/2017-18 (नर्बदा प्रसाद विरुद्ध म0प्र0 शासन) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय सीहोर जिला सीहोर द्वारा पारित किया गया।
02. प्रकरण क्रमांक 08/अ-70/2016-17 नर्बदा प्रसाद विरुद्ध इंदर सिंह व अन्य न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय, सीहोर धारा 250 म.प्र.भूरा.सं. के प्रकरण की संपूर्ण नस्ती

13/3/18  
6130  
13/3/18  
HST


HST

2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक II / निग / सीहोर / अ.श / 2018 / 2019

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>20-07-18 भोपाल-कैम्प</p>	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । पूर्व में उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे है । समय-समय पर तीन बार आवाज लगवाई गई । अतः आवेदक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में समाप्त किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;">                       सदस्य 20/7/18                 </p>	

